राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2663/2024

विजय कुमार जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, Gatore, जयपुर।
4. सुनीता मीणा, व्याख्याता हिंदी, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, Gatore, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2024
आदेश की दिनांक : 17.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पक्षकार बनाये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता हिंदी के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Gatore, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सकून, जयपुर किया गया, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3966/2022 प्रस्तुत की।

चूंकि अपीलार्थी 40 प्रतिशत विकलांग है। अधिकरण द्वारा दिनांक 11.10.2022 को स्टे रिप्रजेंटेशन जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 12.04.2023 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया और आदेश दिनांक 27.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यदुनंदन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में विकलांग व्यक्तियों का स्थानान्तरण जिले के अंदर ही किया जाना उचित माना है। परंतु अपीलार्थी को 130 कि.मी. दूर पावटा, जयपुर स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022, 12.04.2023 एवं 27.08.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Gatore, जयपुर में निरंतर कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण गेटोर, जयपुर से सकून, जयपुर आदेश दिनांक 31.08.2022 के द्वारा किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा स्टे रिप्रजेंटेशन पारित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पावटा, जयपुर किया गया, जिसकी अपीलार्थी ने न तो पालना की और न ही चुनौती दी और अपीलार्थी गेटोर, जयपुर में ही कार्य करता रहा। इस प्रकार अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 10.10.2022 का उजागर नहीं किया और न ही प्रधानाचार्य ने अपीलार्थी को उक्त आदेश की पालना में कार्यमुक्त किया। इस प्रकार अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष उक्त तथ्यों को छिपाया है। अपीलार्थी काफी लम्बे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत है और आदेश दिनांक 27.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को पावटा, जयपुर के लिये कार्यमुक्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश के बारे में जानकारी थी। अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे हैं और अपीलार्थी की सास विकलांग है, जो अनुलग्नक–आर/4/3 से प्रकट होता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता हिंदी के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Gatore, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सकून, जयपुर किया गया, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3966/2022 प्रस्तुत की। चूंकि अपीलार्थी 40 प्रतिशत विकलांग है। अधिकरण द्वारा दिनांक 11.10.2022 को स्टे रिप्रजेंटेशन जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 12.04.2023 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया और आदेश दिनांक 27.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.04.2023 के द्वारा अभ्यावेदन को निरस्त करते हुये पावटा, जयपुर के लिये कार्यग्रहण कर पालना से अवगत कराये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2024 एवं 27.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर के लिये कार्यमुक्त किया गया है। जबकि अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को जिस आदेश (दिनांक 10.10.2022) के तहत पावटा, जयपुर स्थानांतरण किया गया है, उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा पावटा, जयपुर स्थानांतरण किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2023 एवं 27.08.2024 के द्वारा पालना करने हेतु कार्यमुक्त किया गया है। स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्समय अपीलार्थी का स्थानांतरण जयपुर जिले के अंदर ही किया गया है। अपीलार्थी एक ही स्थान पर वर्ष 2012 से पदस्थापित है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें जनहित/छात्रहित में कहां पर ली जानी हैं। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण लम्बे समय अंतराल बाद किया गया है, जो जयपुर जिले के अंदर ही किया गया है और इस प्रकार हमारे मत में जारी किया गया कार्यमुक्त आदेश दिनांक 12.04.2023 एवं 27.08.2024 नियमानुसार जारी किये गये हैं। चूंकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.10.2022 की पालना में कार्यमुक्त किया गया है,

जिसे चुनौती नहीं दिया गया है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य